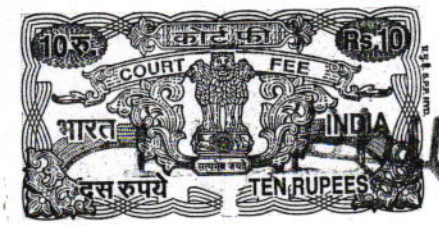

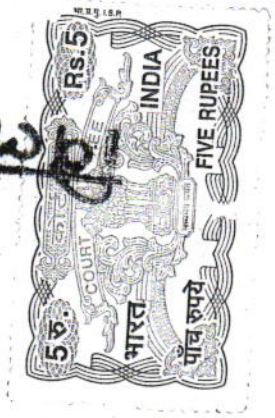

रिव्यू 3070-II/13

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१३ पुनरावलोकन

इस. के. श्रीवास्तव, अभि० 8.8.13

8.8.13

कसिया पुत्र श्री ठगुवा कुर्मी,
निवासी ग्राम डाँगरा, तहसील बिजावर,
जिला छतरपुर (म०प्र०) --- आवेदक

बनाम

कन्हैया पुत्र गोरेलाल कुर्मी,
निवासी ग्राम डाँगरा, तहसील बिजावर,
जिला छतरपुर (म०प्र०) --- अनावेदक

पुनरावलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक १८-७-१३ पारित द्वारा श्री एम०के० सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर प्रकरण क्रमांक १४२७ए। २००७ पुनरीक्षण बउनवान कन्हैया बनाम कसिया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, वर्तमान प्रकरण अनावेदक कन्हैया के द्वारा तहसील न्यायालय बिजावर में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रारम्भ होकर प्रकरण क्रमांक ०४/अ-७०/०४-०५ बउनवान कन्हैया बनाम कसिया पर दर्ज हुआ न्यायालय द्वारा अनावेदक को सूचना-पत्र जारी किया गया। आवेदक न्यायालय में उपस्थित हुआ जवाब एवं आपत्ति प्रस्तुत की कि विवादित भूमि पर आवेदक व उसके भाईयों खुदवा, मुन्नी तथा ठगुवा का गत ४० वर्षों से कब्जा है। भूमि शासकीय है, जिसका पट्टा हल्का एवं ...

(37)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

———

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3070–दो/13 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.12.2015	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदकगण पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1427–दो/2007 आदेश दिनांक 18.7.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरवलोकन प्रकरण कमांक 3070–दो/2013 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1427–दो/2007 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 18.7.2013 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 3370–दो/2013 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरवलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन	

स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य